राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की कौशल विकास प्रशिक्षण योजना

1. उद्देश्य

सरकार/राज्य सरकार/एस.सी.ए प्रशिक्षण संस्थानों व कौशल विकास एवं उद्ममिता मंत्रालय द्वारा स्थापित सेक्टर स्किल काउंसिल के माध्यम से तकनीकी एवं उद्ममीय कौशल के उन्नयन हेतु सामान्य मानकों के अनुकूल वृहत कौशल प्रशिक्षण आयोजित करना जिससे पिछड़े वर्गों के पात्र व्यक्ति स्व-रोजगार एवं वेतन-रोजगार के माध्यम से विकासात्मक कार्यकलापों से जुड़ सकें।

2. पात्रता

निम्नानुसार वर्णित तथा प्रमाणित एन.बी.सी.एफ.डी.सी के लक्षित समूह को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है:

a) लाभार्थी राज्य और / या केंद्र सरकार की सूची के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय रु. 3 लाख से कम हो अथवा गैर-अधिसूचित, अर्ध-घुमंतु और घुमंतु जनजाति (DNT) के समुदाय का हो, अथवा आर्थिक रूप से पिछड़ा (EBC) वर्ग का हो अथवा वरिष्ठ नागरिक होने चाहिए।

b) ओ.बी.सी के मामले में, www.ncbc.gov.in वेबसाइट में केंद्र सूची से या राज्य सरकार की नामित सूची से ओ.बी.सी के तहत जाति वर्गीकरण की पुष्टि की जा सकती है। सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

c) ईबीसी के मामले में, कोई जाति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा, हालांकि, सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय 1.00 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

d) b) और c) में परिभाषित वार्षिक पारिवारिक आय के अनुपालन के लिए, राज्य सरकार के उचित प्राधिकारी द्वारा जारी वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र या स्वयं प्रमाणित प्रमाणपत्र जो कि सम्बंधित सरकार द्वारा परिभाषित राजपत्रित अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित हो, विधिवत स्वीकार्य होगा | यह विशेष रूप से स्पष्ट किया जाता है कि सार्वजनिक प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधान, सरपंच, परामर्शदाता, नोटरी इत्यादि द्वारा पृष्ठांकन स्वीकार्य नहीं होगा।

e) डीएनटी समुदाय की स्थिति में, उनकी बेहद वंचित और प्रवासी प्रकृति को देखते हुए, जाति प्रमाण पत्र के आग्रह, उम्र और स्थायी पते के साक्ष्य के लिए छूट दी गई है। इसकी अनुपस्थिति में, प्रशिक्षण प्रदाता उम्मीदवार से स्वं-घोषणा के रूप में उसकी जाति, जन्म तिथि तथा पते हेतु अंडरटेकिंग ले सकते हैं जो कि उनके समुदाय / क्लस्टर के स्थानीय प्रधान द्वारा पृष्ठांकित किया गया हो | हालांकि, प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा इसकी पुष्टि की जानी अनिवार्य है कि उम्मीदवार की जाति डीएनटी आयोग की रिपोर्ट के अनुलग्नक-VII में परिभाषित डी.एन.टी श्रेणी के तहत आती है ।

f) वरिष्ठ नागरिकों के मामले में, उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उम्र वैध प्रमाण पत्र जैसे शिक्षा योग्यता प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि के माध्यम से प्रमाणित की जानी चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई जाति या आय से सम्बंधित मानदंड नहीं होगा।

g) आकलन / प्रमाणीकरण के समय न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

h) प्रवासी व्यक्तियों के मामले में उनके मूल राज्यों द्वारा जारी आय एवं जाति प्रमाण-पत्र स्वीकार किए जा सकते हैं ।

3. आयु

लक्षित वर्ग के ऐसे व्यक्ति जिनकी अवस्था मूल्यांकन/प्रमाणीकरण की तिथि पूर्ण होने पर 18 वर्ष एवं उससे अधिक हो, प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता हैं।

4. प्रशिक्षण की अवधि

कौशल विकास एवं उद्‌ममिता मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य मानकों के अनुसार (जैसा कि संलग्न हैं):

i) **नयाः** कम से कम 200 घण्टे (कौशल विकास एवं उद्‌ममिता मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य मानकों की अधिसूचना दिनांक 15.7.2015 एवं 20.05.2016 के अनुसार)

ii) **कौशल उन्नयनः (रीस्किल्लिंग एवं आर.पी.एल. सहित) :** 32- 80 घण्टे.

5. पाठ्यक्रम

योजना के तहत प्रस्तुत किए गए सभी कौशल विकास पाठ्यक्रम मोटे तौर पर राष्ट्रीय कौशल पात्रता फ्रेमवर्क (NSQF) के अनुकूल होने चाहिए।

6. अनुदान की राशि

i) कुल प्रशिक्षण लागत का 100% अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रम का पाठ्क्रम शुल्क एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

ii) **छात्रवृत्तिः** नए पाठ्क्रम हेतु एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के पास धनराशि की उपलब्धता की दशा में रहने एवं खाने, विशेष क्षेत्र समूहों के लिए आने-जाने की लागत अन्य लाभ के रूप में रू. 1000/- प्रति माह प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से छात्रवृत्ति स्वीकार्य होगी। प्रत्येक माह के अंत में उपस्थिति 80% एवं उससे अधिक होने पर प्रशिक्षणार्थी छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। पात्र प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण एस.एस.सी./प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा डी.बी.टी. के माध्यम से किया जाएगा। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा अंतिम किस्त के साथ एस.एस.सी./प्रशिक्षण संस्थानों को छात्रवृत्ति का वितरण किया जाएगा।

अभ्यर्थियों को पुर्नकौशल एवं आर.पी.एल. का भुगतान कौशल विकास एवं उद्ममिता मंत्रालय द्वारा समाविष्ट मानकों के अनुसार होगा।

7. प्रशिक्षण संस्थान की योग्यता

7.1 राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क एवं सामान्य मानकों का अनुकरण करने वाले निम्न श्रेणी के संस्थानों, काउंसिलों एवं प्रशिक्षण सहभागियों के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम संचालित होंगे.

क) केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के तत्वावधान के अंतर्गत आने वाले संस्थान.

ख) सेक्टर स्किल काउंसिल- जिन्होंने एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के साथ एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किया हो.

ग) ऐसे प्रशिक्षण सहभागी जिनके पास पहले से एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के साथ काम करने का के बेहतर ट्रैक रिकार्ड हो, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एवं सेक्टर स्किल काउंसिल्स के साथ कुशल बनाने के क्षेत्र में पंजीकरण हो जहां पर सेक्टर स्किल काउंसिल्स एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के साथ कार्य का संबंध नहीं है।

7.2 अन्य पिछड़े वर्गों के स्व-रोजगार एवं चिरस्थाई आजीविका को प्रोन्नत करने हेतु निगम का आज्ञा-पत्र पूरा करने में सहायता करना। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों एवं चैनल सहभागी बैंकों द्वारा भी खासकर अवरोध उन्मुख क्षेत्रों जैसे - जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर-पूर्व इत्यादि में प्रशिक्षण संचालित किए जा सकते हैं।

7.3 उपरोक्त श्रेणी के संस्थान/काउंसिल्स/प्रशिक्षण सहभागियों को उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्रशिक्षण स्वीकृत होंगे जो सामान्यतः निगम द्वारा जारी किए गए प्रस्तावों पर अनुरोध के रूप में होंगे।

8. प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आरंभ

8.1 प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण संस्थान/सेक्टर स्किल काउंसिल्स पात्र प्रेरित अभ्यर्थियों की सूची प्रस्तुत करेंगे जिसके बाद एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा एल.ओ.आई. के रूप में स्वीकृति से सूचित किया जाएगा।

8.2 एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा जारी एल.ओ.आई. की सेवा-शर्तों को प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्वीकार करना होगा।

स्वीकृत धनराशि की पहली किस्त जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर कार्यक्रम को आरंभ करना होगा जो चयनित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के अनुपात में जारी की जाएगी।

8.3 स्वीकृत धनराशि की पहली किस्त, जो चयनित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के अनुपात में जारी की जाएगी, जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर कार्यक्रम को आरंभ करना होगा ।

9. मूल लागत

प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी जो सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करता है एवं सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकित एवं प्रमाणित किया जाता है, एम.एस.डी.ई. द्वारा जारी सामान्य मानकों के अनुसार अनुसूची-I में दी गईं दरों पर एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा योजनाओं के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण लागत का भुगतान किया जाएगा।

तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण लागत का भुगतान एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा नहीं किया जाएगा।

10. वित्तीय सहायता की अवमुक्ति

प्रशिक्षण लागत की स्वीकृति धनराशि, प्रत्येक 50%, दो किस्तों में जारी की जाएगी।

10.1 **<u>पहली किश्तः</u>** स्वीकृति राशि की 50% की पहली किस्त निम्नलिखित दस्तावेजों की प्राप्ति पर आनुपातिक रूप से (सामान्य मानदंडों में निर्धारित 30% अग्रिम भुगतान के हिस्से के रूप में और अतिरिक्त राशि छात्रवृत्ति के रूप से भुगतान के लिए खर्च को आच्छादित करने के लिए) जारी की जाएगी:

(i) प्रशिक्षार्थियों की सूची स्वीकृति पत्र व सेवा-शर्तों के अनुमोदन सहित स्वीकृति के साथ जैसा कि संलग्न है (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर और प्रत्येक पृष्ठ पर किया जाना चाहिए)।

(ii) सामान्य सेवा-शर्तों के बिन्दु सं. 4 का अनुसरण करते हुए चयन समिति की बैठक के मूल कार्यवृत्त पर इसके सदस्यों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित किए हुए एवं मुहर के साथ।

(iii) अनुलग्नक । के अनुसार धनराशि अवमुक्ति हेतु मांग।

(iv) प्रचार के साधन/ समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापन का तिथि सहित विवरण।

(v) शपथ-पत्र (अनुलग्नक -2)

(vi) प्रशिक्षण संस्थान / सहभागियों की सूची व संपर्क व्यक्ति का विवरण व डाक का पूरा पता स्काइप आई.डी. / मोबाइल नंबर के साथ प्रत्येक स्थान के लिए प्रशिक्षार्थियों की केंद्रवार / जिलावार सूची के साथ दिया जाना चाहिए।

<u>द्वितीय किश्तः</u>

10.2 स्वीकृत राशि की दूसरी 50% की किश्त एवं छात्रवृत्ति धनराशि, यदि कोई लागू हो, निम्नलिखित कागजातों के प्राप्त होने पर जारी की जाएगी:

i. प्रत्येक केन्द्र के लिए प्रत्येक सफल प्रशिक्षार्थी की प्रमाणित उपस्थिति (बायो-मैट्रिक) के साथ पूर्ण विवरण की सूची।

ii अनुलग्नक III से IV सभी मामलों में विधिवत भरा (संलग्न)।

iii खर्चों की विवरणिका के साथ संलग्नक (V) जी.एफ.आर. 12-ए (प्रथम किश्त के लिए) में उपभोग प्रमाण-पत्र संस्था प्रमुख व चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत् प्रमाणित।

iv डी.बी.टी., यदि कोई हो, के माध्यम से वितरित छात्रवृत्ति, यदि कोई हो, का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत प्रमाणित (प्रारूप संलग्न) विवरण।

v प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रशिक्षार्थियों (समूह में) का एवं उनके काम करते हुए फोटोग्राफ्स।

vi फीडबैक फॉर्म का विश्लेषणात्मक विवरण।

vii क) न्यूनतम 70% उम्मीदवारों की नौकरी /स्व-रोजगार में नियुक्ति का प्रमाण उनके मासिक वेतन के विवरण और उन कंपनियों के पते के साथ संपर्क विवरण जहां उन्हें कार्य हेतु नियोजित किया गया है। विवरण प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है।

ख) पुनर्कौशल के मामले में, सामान्य मानदंडों के खण्ड 4.2 का पालन किया जाना चाहिए।

viii स्व-रोजगार के मामले में, प्रशिक्षण संस्थान/सेक्टर स्किल काउंसिल को एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ऋण / स्व-वित्तीयन / बैंक ऋण इत्यादि, यदि कोई हो, के माध्यम से स्व-रोजगार के तरीके का विवरण प्रदान करना चाहिए।

10.3 नए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति जैसा कि एल.ओ.आई. में उल्लेख किया जाता है, की अवमुक्ति पात्र अभ्यर्थियों को (80% उपस्थिति होने पर) छात्रवृत्ति के अंतरण का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर डिजिटल माध्यम से की जाएगी।

11. वापसी/समायोजन

i) प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले लाभार्थियों की संख्या स्वीकृत प्रशिक्षणार्थियों से कम हाने की दशा में जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की गई एवं धनराशि जारी की गई थी, तब ऐसी कम संख्या के अनुपात में धनराशि का समायोजन अंतिम किस्त में किया जाएगा।

ii) यदि ऐसा पाया जाए कि सेक्टर स्किल काउंसिल/प्रशिक्षण संस्थान असत्य सूचना देकर अथवा जानबूझकर उपयोगी सूचना को छिपाकर एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को बहका रहा है, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को अधिकार होगा कि वह बकाया धनराशि के भुगतान को रोकने और जहां कहीं उचित हो, बैंक ब्याज के साथ पहली किस्त की वापसी की मांग करने का हक़ होगा। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ऐसे प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता को काली सूची में डालने पर विचार कर सकता है एवं केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार की धनराशि उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों को सूचित कर सकता है।

12. निरीक्षण

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के प्रतिनिधियों को लेखे की पुस्तिकाओं, सेक्टर स्किल काउंसिल्स के अभिलेखों एवं प्रशिक्षणार्थियों के साथ-साथ प्रशिक्षकों, प्रशिक्षण संस्थान/सेक्टर स्किल काउंसिल्स/प्रशिक्षण उपलब्धकर्ताओं के कर्मियों के साथ बातचीत करने का अधिकार होगा।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. प्रशिक्षण कार्यक्रम/प्रशिक्षणार्थियों की गुणवत्ता एवं स्थिति का पता लगाने के लिए प्रशिक्षणार्थियों के साथ प्रशिक्षण से पहले, अवधि में अथवा बाद में फोन पर अथवा स्काइप/वीडियो कांफ्रेंशिंग के माध्यम से बातचीत कर सकता है।

13. **रहने एवं खाने/आवा-गमन हेतु सहायता**

धनराशि की उपलब्धता की दशा में सामान्य मानकों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार उपलब्ध होंगे।

14. **तीसरे पक्ष द्वारा प्रमाणीकरण एवं मूल्यांकन**

प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का स्वतंत्र एवं पक्षपात रहित मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान को सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण कराना होगा। तद्नुसार, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. धनराशि मात्र सफल लाभार्थियों के लिए जारी की जाएगी। तथापि, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा लागत का वहन नहीं किया जाएगा।

15. **प्रशिक्षण उपलब्धकर्ताओं द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के चयन की प्रक्रिया**

पात्र अभ्यर्थियों के चयन के लिए निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए क्षेत्रीय स्तर पर चयन समिति बनाई जाएगी :

क) राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी/RRB/राष्ट्रीय बैंक के प्रतिनिधि
ख) सामजिक कल्याण विभाग/जिलाधिकारी कार्यालय/ जिला प्रसाशन से सारकारी कर्मी
ग) सम्बंधित उद्योग से प्रतिनिधि
घ) प्रशिक्षण संस्थान/सेक्टर स्किल काउंसिल प्रतिनिधि
ङ) NBCFDC के प्रतिनिधि

*चयन समिति की बैठक में उपरोक्त में से कम से कम तीन सदस्य उपस्थित होने चाहिए |

प्रशिक्षण उपलब्धकर्ता द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के चयन का पारदर्शी तंत्र अंगीकार करने की आवश्यकता होगी।

लक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए।

16. **निगरानी एवं मार्गन**

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. का सूचना तंत्र अपने जॉब-पोर्टल के लिए आंकड़ों को आयातित करने के लिए, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. सेक्टर स्किल काउंसिल्स/प्रशिक्षण संस्थानों के आंकड़ों तक पूरी, सामान्य एवं व्यापक पहुंच बनाएगा।

सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण पूर्ण होने की तिथि/प्रमाणीकरण की तिथि से, प्रशिक्षण संस्थान उनके कैरियर की क्रमानुसार प्रगति, बनाए रखने एवं अन्य मापदण्डों के संबंध में प्रशिक्षणार्थियों का मार्गन करेंगे।

******

प्रासंगिक सामान्य मानदण्डों का अंश

भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही कौशल विकास योजनाओं के लिए सामान्य मानदण्ड निम्न प्रकार एतदद्वारा अधिसूचित किए जाते हैं:

1. कौशल विकास

किसी सरकारी योजना के प्रयोजन के लिए कौशल विकास की परिभाषा है- कि किसी विशिष्ट क्षेत्र संबंधी मांग जो कौशल प्रशिक्षण कार्यकलाप पर आधारित हो और उससे रोजगार मिले अथवा कोई परिणामोन्मुख कार्यकलाप जो किसी प्रतिभागी को ऐसा कौशल प्राप्त करने में समर्थ बनाए जो किसी स्वतंत्र तृतीय पक्ष एजेंसी द्वारा विधिवत् मूल्यांकित और प्रमाणित हो और जो उसे मजदूरी/स्व-रोजगार प्राप्त करवाने में समर्थ बनाए जिससे उसके/उसकी आय में वृद्धि हो, और/अथवा कार्य की बेहतर स्थितियां बने, जैसे अनौपचारिक कौशल के लिए औपचारिक प्रमाणन प्राप्त करना, और/अथवा अनौपचारिक से औपचारिक क्षेत्र के जॉब में जाना अथवा उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण प्राप्त करने संबंधी कदम उठाना और ये नीचे दी गई श्रेणियों में आएंगेः

(i) जॉब मार्केट में नई भर्ती वालों के लिए प्रशिक्षण अवधि, किसी अन्य संविधि द्वारा निर्धारित किए गए के सिवाए न्यूनतम 200 घण्टे की होगी (प्रायोगिक और/या ऑन द जॉब ट्रेनिग सहित)।

(ii) पहले से ही कार्य (आक्यूपेशन) में लगे व्यक्तियों के पुर्नकौशलीकरण अथवा कौशल उन्नयन के लिए न्यूनतम 80 घण्टे की प्रशिक्षण अवधि होगी, जिसमें प्रायोगिक और ऑन द जॉब ट्रेनिंग शामिल है।

(iii) किसी व्यावसायिक ट्रेड या शिल्प (क्राफ्ट) में अनौपचारिक, गैर-औपचारिक अथवा अनुभवजन्य प्रशिक्षण के जरिए कौशल प्राप्त कर चुके व्यक्तियों के मामले में ऐसे कौशल की मान्यता और उसका प्रमाणन, यदि आवश्यक हुआ, कौशल विकास के रूप में माना जाने वाला ब्रिज पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद किया जाएगा।

कृषि क्षेत्र ओर उससे संबंधित कार्यकलापों, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि जैसे किए गए सघन कार्य को कौशल विकास से अलग हटकर किए गए कार्यकलापों में रिकार्ड

किया जाएगा। इन्हें 32 घण्टे या इससे अधिक की अवधि वाला कार्यक्रम मानना होगा, इनसे ऐसा आर्थिक या सामाजिक लाभ होता है जिसे तत्काल मापना संभव नहीं होगा और सामान्य लागत मानदण्ड ऐसे सघन कार्यों पर लागू नहीं होंगे।

2. कौशल विकास पाठ्यक्रम

साफ्ट (वैयक्तिक) कौशल (जिसमें कंप्यूटर साक्षरता, भाषा और सेक्टर/ट्रेड से संगत कार्यस्थल इंटरपर्सनल कौशल शामिल है), कौशल प्रशिक्षण प्रक्रिया के अभिन्न अंग होंगे और अनुसूची-II में उपर्युक्त सभी पाठ्यक्रम माड्यूलों में उपयुक्त रूप से समेकित किए जाएंगे।

2.1 राष्ट्रीय कौशल विकास अर्हता ढांचा के साथ अनुरूपण

योजना के ढांचे के अंतर्गत प्रस्तावित सभी कौशल विकास पाठ्यक्रम दिनांक 27.12.2013 को अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल विकास अर्हता ढांचा (एन.एस.क्यू.एफ.) के अनुरूप होना चाहिए। इस ढांचे के अंतर्गत सभी प्रशिक्षण/शैक्षिक कार्यक्रम/पाठ्यक्रमों में इस तरह के परिवर्तन की व्यवस्था है कि वह एन.एस.क्यू.एफ. की अधिसूचना के तीसरे वर्ष की तारीख के बाद (अर्थात् 27 दिसंबर, 2016 के बाद) एन.एस.क्यू.एफ. अनुपालक हो। सरकारी वित्त पोषण किसी प्रशिक्षण अथवा शैक्षिक कार्यक्रम/पाठ्यक्रम उस स्थिति में उपलब्ध नहीं होगा यदि वह एन.एस.क्यू.एफ. अनुपालक न हो। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/एन.एस.डी.ए./क्षेत्र कौशल परिषदों द्वारा पैनलीकृत/अनुमोदित सभी प्रशिक्षण प्रदाताओं को एन.एस.क्यू.एफ. की इस अपेक्षा का अनुपालन करना आवश्यक होगा, ऐसा न होने पर, संबंधित पैनल में रखने वाले/अनुमोदित करने वाले प्राधिकारी द्वारा उन्हें सूची से हटा दिया जाएगा।

3. इनपुट स्टैंडर्ड

3.1 यद्यपि भारत सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत वित्त पोषित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इन "सामान्य मानदंडों" के अनुसार परिणाम प्राप्त किए जाएं, फिर भी निम्नलिखित इनपुट पर भी विचार

किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पर्याप्त प्रशिक्षण अवसंरचना और क्षमता विद्यमान हैः

(i) समग्र प्रशिक्षण अवसंरचना विशेषकर प्रशिक्षण उपकरण और उपस्कर, उद्योग के बैंचमार्क के अनुसार हों।

(ii) उपयुक्त अर्हता/अनुभव वाले प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएं और प्रत्येक प्रशिक्षक, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (टी.ओ.टी.) किया हो।

(iii) शिक्षण समूहों के लिए उपयुक्त और एन.एस.क्यू.एफ./एस.डी.आई.एस. की आवश्यकताओं के अनुरूप उद्योग से जुड़े विषय-वस्तु का स्तेमाल हो।

(iv) छात्र और प्रशिक्षण का पंजीकरण आधार से जुड़ा हो।

(v) मूल्यांकन का वीडियो रिकार्ड, यदि आवश्यक हो, हुआ हो।

4. कौशल विकास का परिणाम

कौशल प्राप्त व्यक्ति का स्वतंत्र तृतीय पक्ष प्रमाणन के अलावा कौशल विकास परिणामों से प्राप्त परिणाम निम्न प्रकार होंगेः

4.1 कार्यबल में नई भर्ती वालों के प्रशिक्षण के लिए परिणाम की परिभाषा में निम्नलिखित सभी को शामिल किया जाएगाः

(i) वार्षिक आधार पर न्यूनतम 70 प्रतिशत सफलतापूर्वक प्रमाणित प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण पूरा होने के तीन महीने के अंदर रोजगार (मज़दूरी और स्व-रोजगार दोनों) और उत्तीर्ण हुए न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रशिक्षार्थी, मज़दूरी वाले रोजगार में तैनात किए जाएं; परन्तु, मंत्रालय/विभाग, स्व-रोजगार/उद्मशीलता के लिए अनन्य रूप से बनाई गई स्कीम की विशिष्टताओं, कार्यकलापों की प्रकृति, स्थानीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थितियों आदि के अधार पर मजदूरी और स्व-रोजगार की प्रतिशतता में परिवर्तन के लिए स्वतंत्र होंगे।

(ii) मज़दूरी वाले रोजगार और पूर्व शिक्षण की मान्यता के मामले में उम्मीदवारों को ऐसे जॉब में तैनात किया जाएगा जिससे निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी के बराबर मज़दूरी मिले और ऐसे उम्मीदवार उसी या किसी अन्य नियोक्ता के साथ उसी या उच्च स्तर पर तैनाती की तारीख से न्यूनतम तीन महीने की अवधि के लिए जॉब में बने रहेंगे।

(iii) स्व-रोजगार के मामले में उम्मीदवार ऐसी आजीविका संवर्द्धन कार्यकलापों में लाभप्रद रूप से नियोजित हुआ हो, जो ट्रेड लाइसेंस की दृष्टि से प्रमाणित हो अथवा

ऐसे उद्यम की स्थापना में हो अथवा उत्पादक समूह का सदस्य बना हो अथवा अतिरिक्त आय का उसके पास प्रमाण (बैंक स्टेटमेंट) हो अथवा ऐसा कोई अन्य उपयुक्त और सत्यापन किए जाने योग्य दस्तावेज हो, जैसा संबंधित मंत्रालय/विभाग निर्धारित करे।

4.2 पहले से ही किसी कार्य में लगे व्यक्तियों के पुनःकौशलीकरण अथवा कौशल उन्नयन के मामले में न्यूनतम 70 प्रतिशत ऐसे व्यक्ति, कौशल विकास प्रशिक्षण के पूरा होने के 14 महीने के अंदर न्यूनतम 3 प्रतिशत पारिश्रमिक की वृद्धि वाले होंगे।

4.3 अनौपचारिक, गैर-औपचारिक अथवा किसी व्यावसायिक ट्रेड अथवा क्राफ्ट में अनुभवजन्य प्रशिक्षण के जरिए कौशल अर्जित करने वाले व्यक्तियों के मामले में ऐसे पूर्व अर्जित कौशल की औपचारिक मान्यता और प्रमाणन (आवश्यक होने पर ब्रिज पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद), जिससे मजदूरी वाले रोजगार के मामले में तत्काल और परवर्ती उत्पादन चक्र के लिए उम्मीदवार के कौशल श्रेणी के अंतर्गत मज़दूरी में समुचित वृद्धि हो अथवा स्व-रोजगार के मामले में 3.1 (iii) के अंतर्गत शर्तें पूरी होती हों, इस प्रयास का परिणाम माना जाएगा।

5. वित्त पोषण के मानदंड

कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत वित्त पोषण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किसी भी मामले के लिए उपलब्ध हैः

(i) कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना के सृजन/उन्नयन हेतु पूंजीगत व्यय पूरा करना; व

(ii) अलग-अलग व्यक्तियों के प्रशिक्षण की आवर्ती लागत पूरा करना जिसमें तैनाती के बाद लगने वाली लागत शामिल है।

5.1 मंत्रालयों/विभागों में वित्त पोषण के मानदंडों के यौक्तिकीकरण से वे इनपुट और परिणामों पर प्रभावी ढंग से निगरानी करने में समर्थ होंगे। इससे सभी प्रशिक्षण प्रदाताओं में आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में भी सुचारूता आएगी। अतः अनुसूची-I में दिए गए अनुसार वित्त पोषण के मानदंड उन सभी विद्यमान और नई कौशल विकास योजनाओं पर लागू होते हैं जो अलग-अलग प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण लागत का वित्त पोषण करते हों। परन्तु, प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना के सृजन/विस्तार को पूरा करने वाली कौशल विकास योजनाओं/

योजनाओं के घटक अपने विद्यमान मानदंडों के अनुसार कार्य करते रहें, जैसा कि संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा निर्णय लिया गया है।

5.2 मूल लागत, भारत सरकार की किसी भी योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले प्रमाणित किए जाने वाले प्रत्येक प्रशिक्षार्थी के मामले में कौशल विकास प्रशिक्षण लागत का भुगतान अनुसूची-I एवं अनुसूची-IV के अनुसाद अदा किया जाएगा।

5.3 अनुसूची-II की श्रेणी I, II, III में सूचीबद्ध ट्रेड/जॉब की भूमिका, राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एन.एस.क्यू.एफ.) से अनुरूपित की जाएगी जैसा कि दिनांक 27.12.2013 की कैबिनेट अधिसूचना संख्या 8/6/2013-इनवेट. द्वारा अधिसूचित किया गया है। इन श्रेणियों को संबंधित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान किए जाने हेतु पूंजीगत व्यय और प्रचालन व्यय के स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। मंत्रालय/विभाग उन पाठ्यक्रमों की पहचान करने के लिए स्वतंत्र है जो इनमें से किसी श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किए जा सकते हैं और इस सूची के अतर्गत नहीं आने वाले पाठ्यक्रमों के मामले में उद्योग के परामर्श से ऐसा किया जा सकता है और उसके बाद 'सामान्य मानदंड समिति' का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

5.4 प्रति घण्टा दर में निम्नलिखित लागत घटक शामिल होगाः

I. उम्मीदवारों को इकट्ठा करना
II. तैनाती के बाद ट्रैकिंग/निगरानी
III. पाठ्यचर्या
IV. तैनाती खर्च
V. प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
VI. उपस्कर
VII. अवसंरचना लागत/उपयोगी सुविधाओं का परिशोधन
VIII. शिक्षण सहायता
IX. कच्ची सामग्री
X. प्रशिक्षकों का वेतन

5.5 इन मानदंडों से किसी विचलन की अनुमति 'सामान्य मानदंड समिति' के अनुमोदन के बाद ही दी जाएगी।

5.6 **ठहरने और भोजन के लिए सहायताः** कतिपय अतिरिक्त लागत शीर्षों की अनुमति नीचे दिए अनुसार प्रदत्तर की जाएगीः

(i) निम्नलिखित के लिए प्रदत्त की जाएगीः

(क) आवासीय प्रशिक्षण और/अथवा

(ख) उन सभी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मामलों में जहां विशेष क्षेत्र से आने वाले प्रशिक्षार्थी (अनुसूची-I में यथापरिभाषित) इन विशेष क्षेत्रों से बाहर प्रशिक्षित किए जाते हैं और/अथवा

(ग) देश में किसी भी जगह प्रशिक्षण कार्यक्रम जहां महिला प्रशिक्षार्थियों को निकटतम प्रशिक्षण केंद्र तक पहुंचने के लिए अपने घरों से 80 किलोमीटर से अधिक की यात्रा तय करनी पड़ती है और उनके लिए जिनके द्वारा ठहरने एवं भोजन की सुविधा प्राप्त की जा रही है।

मंत्रालय/विभाग, अनुसूची-I में दिए अनुसार प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति दिन अधिकतम सीमा के अध्याधीन रहने और खाने की लागत की प्रतिपूर्ति वास्तविक दर पर करेंगे। इस प्रयोजन के लिए शहरों के श्रेणियों की सूची अनूसूची-III में दी गई है।

(ii) परिवहन लागतः 'विशेष क्षेत्रों' से बाहर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 'विशेष क्षेत्रों' के उम्मीदवारों के लिए आने-जाने की परिवहन लागत, जैसा अनुसूची-I में दिया है, देय होगी।

5.7 **संसाधन जुटानाः**

भौगोलिक क्षेत्र/सेक्टर और प्रशिक्षणार्थी समूह के मामले में जहां प्रशिक्षण लागत इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मानदंडों से बहुत अधिक हो, प्रशिक्षण प्रदाता इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वे राज्य सरकारों, निगमों, नियोक्ताओं, लोक हितैशी संस्थाओं आदि से अतिरिक्त वित्त सहायता जुटाएं। तथापि, निधियों के ऐसे सामंजस्य के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

क) प्रशिक्षण पूर्ण होने के तीन माह के भीतर सेवायोजन होना चाहिए।

6. मूल्यांकन मानदंड

कौशल विकास हेतु भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध समस्त योजनाओं का मूल्यांकन प्रत्येक तीन वर्षों में मंत्रालय अथवा मंत्रालय द्वारा नामित अभिकरण से कराना होगा एवं परिणाम

प्राप्त न करने वाली योजनाओं की सततता की समीक्षा की जाएगी। यहां कार्यनिष्पादन दोनों ही रूपों अर्थात् संख्यात्मक (प्राप्त परिणाम) के साथ-साथ गुणात्मक (अभ्यर्थियों/राज्यों/प्रशिक्षण प्रदाता से फीड-बैक फार्म एवं एन.एस.क्यू.एफ. अनुपालन की मात्र, इत्यादि) में परिभाषित की जाएगी।

7. समर्थन एवं जागरूकता निर्माण

केन्द्र सरकार के सभी कार्यक्रमों/योजनाओं का क्रियान्वयन प्रशिक्षण प्रदाताओं/निर्धारकों जो कि केन्द्रीय स्तर पर अथवा राज्य स्तर की विधिमान्य प्रक्रिया के माध्यम से सूचीबद्ध होंगे, द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण प्रदाताओं/निर्धारकों के सूचीबद्ध करने हेतु एकल प्रक्रिया को स्थान मिलेगा। यह प्रक्रिया क्षेत्र विशिष्ट मुद्दे/सूक्ष्म विभेद के कारक संबद्ध मंत्रालय/विभाग एवं सेक्टर स्किल काउंसिल्स के परामर्श से होगी। प्रशिक्षण प्रदाताओं/निर्धारकों के सूचीबद्धकरण की प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर विधिवत् नामित अभिकरण द्वारा राज्य प्रक्रिया को प्राप्त करेंगे।

अनुसूची-I

लागत अनुसूची

1. मूल लागत

1.1 विभिन्न सेक्टरों के लिए मूल लागत निम्न प्रकार होगीः

(i) अनुसूची- II की श्रेणी I में सूचीबद्ध ट्रेडों/सेक्टरों के लिए रू. 38.50 प्रति घंटा प्रशिक्षण।

(ii) अनुसूची- II की श्रेणी II में सूचीबद्ध ट्रेडों/सेक्टरों के लिए रू. 33 प्रति घंटा प्रशिक्षण।

(iii) अनुसूची- II की श्रेणी III में सूचीबद्ध ट्रेडों/सेक्टरों के लिए रू. 27.50 प्रति घंटा प्रशिक्षण

लागत 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की आवधिक वृद्धि के अधीन होगी अथवा जैसा 'सामान्य मानदंड समिति' द्वारा निर्णय किया जाए परंतु किन्हीं दो संशोधनों के बीच न्यूनतम अवधि 6 महीने की होगी।

1.2 01.04.2016 लागू, अनुसूची-1 के परिच्छेद 1.1 उल्लेख की गई धनराशि विभिन्न सेक्टरों हेतु मूल लागत में अगले 10 पैसे को राउण्ड-आफ करते हुए 5% की दर से बढ़ोत्तरी होती है।

2. परिवहन लागत

2.1 विशेष क्षेत्रों से बाहर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विशेष क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए आने-जाने की वास्तविक परिवहन लागत, प्रति प्रशिक्षार्थी अधिकतम रू. 5000/- होगी।

(i) निम्नलिखित के लिए दी जाएगीः

क) आवासीय प्रशिक्षण और/या

ख) उन सभी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मामलों में जहां विशेष क्षेत्र से आने वाले प्रशिक्षार्थी (इसमें यहां यथा परिभाषित) इन विशेष क्षेत्रों से बाहर प्रशिक्षित किए जाते हैं और / अथवा

ग) देश में किसी भी जगह प्रशिक्षण कार्यक्रम जहां महिला प्रशिक्षार्थियों को निकटतम प्रशिक्षण केंद्र तक पहुंचने के लिए अपने घरों से 80 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करनी पड़ती है और जो उनके लिए की गई व्यवस्था के अंतर्गत ठहरने और भोजन की सुविधा उठाते हैं।

3. **ठहरने एवं खाने की लागत**

नीचे दी गई सारिणी अनुसार अधिकतम सीमा में प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति दिन की दर से मंत्रालय ठहरने एवं खाने की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति करेगाः

i	'एक्स' श्रेणी के शहरों/कस्बों हेतु प्रति दिन प्रति प्रशिक्षार्थी	रू. 300/-
ii	'वाई' श्रेणी के शहरों/कस्बों हेतु प्रति दिन प्रति प्रशिक्षार्थी	रू. 250/-
Iii	'जेड' श्रेणी के शहरों/कस्बों हेतु प्रति दिन प्रति प्रशिक्षार्थी	रू. 200/-
iv	ग्रामीण क्षेत्र एवं कोई भी अन्य क्षेत्र जिसे नगरपालिका/ टाउन एरिया के रूप में अधिसूचित न किया गया हो	रू. 175/-

(शहरों के श्रेणियों की सूची अनुसूची-III में दी गई है)